रजि० नं० एल. डब्लू/ एन पी. 561
साइसेन्स नं० डब्लू०पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 अप्रैल, 1995

चैत्र 14, 1916, शक, सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग -2

संख्या 288/सात-न्याय-2.94

लखनऊ, दिनांक 4 अप्रैल, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

स० प० नि०-70

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 23 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 कही जायेगों। (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2-(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:- (क) ''अधिनियम" का तात्पर्य कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या-66 सन् 1984) से हैं; (ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी न्यायाधीश के पद के संबंध में राज्यपाल और कुटुम्ब न्यायालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के सम्बन्ध में न्यायाधीश या जहां एक से अधिक न्यायाधीश हों वहां प्रधान न्यायाधीश से हैं।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ परिभाषायें

(ग) भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, श्री संविधान के भाग दो के अधीन का नागरिक हो या समझा जाये।
(घ) "आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।
(ड.) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है।
(छ) ''उच्च न्यायालय'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है।
(ज) ''पद'' का तात्पर्य न्यायाधीश के पद से है।
(झ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे को अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय-दो

भाग-एक

न्यायाधीश की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें

[धारा 4 (6) और 23 (2) (क)]

नियुक्ति का श्रोत

3- न्यायाधीश को नियुक्ति निम्नलिखित किसी स्त्रोत से उच्च न्यायालय की सहमति से की जा सकती है-
(क) उन व्यक्तियों में से जिन्होंने भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष के लिये धारण किया हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा या
(ख) किसी व्यक्ति का जिसने भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष के लिए धारण किया हो, अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजन द्वारा, या
(ग) धारा 4 की उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

4- सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरण)
(अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुतार किया जायेगा।

प्रातर्ता एवं अन्य अर्हताएं

5- किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी की धारा 4 की उपधारा (3) को खण्ड (क) और (ख) के अधीन दी गयी कोई अर्हता या खण्ड (ग) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यथा विहित अन्य अर्हताएं आवश्यक होनी चाहिए। चयन धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन उपबन्धों को सम्यक् रूप से रखते हुए किया जायेगा।

राष्ट्रिकता

6- पद पर नियुक्ति के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-
(क) भारत का नागरिक हो या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राण थे। 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय जो से पाकिस्तान या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिकाऔर जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:
परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

	7- पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 45 वर्ष की वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 50 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु यह कि आरक्षण का दावा करने बाते अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष के शिथिलीकरण के लिए हकदार होगा।	आयु
	8- पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी कार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणीः-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्याधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।	चरित्र
	9-पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिलाअभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।	वैवाहिक परिस्थिति
	10- किसी अभ्यर्थी को पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा की गयी किसी परीक्षा को उत्तीण कर ले।	चिकित्सीय उपयुक्तता
	भाग-तीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया	
	11 - नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 4 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	रिक्तियों का अवधारण
	12- परीक्षा ऐसे समय पर और ऐसे दिनांकों को संचालित की जा सकती है जैसा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाय और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगे :- (क) ऐसे विधिक और सहबद्ध विषयों की जिसमें प्रक्रिया सम्मिलित है जैसी कि नियम 13 के अधीन विहित पाठ्य विवरण में सम्मिलित हो, लिखित परीक्षा, और (ख) अभ्यर्थियों की सर्वतोमुखी वृत्ति और उनके व्यक्त्वि पता और सामान्य उपयुक्तता के निर्धारण का साक्षात्कार।	प्रतियोगिता परीक्षा
	13- प्रतियोगिता परीक्षा के संबंधित पाठ्य विवरण और नियमावली ऐसी होगी जैसी कि आयोग के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाय।	पाठ्य विवरण
	14- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आयोग को और चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष को, ऐसी फीस जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करेगा।	फीस

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15- (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विज्ञापन में उनके द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायगा जब तक उसके पास आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीवद्ध कर लिये जानें के पश्चात आयोग, नियम 4 अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर इस संबंध में आयोग द्वारा नियत स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग उन अभ्यर्थियों की, जो पद पर भर्ती के लिये परीक्षा में बैठे हों, जैसा कि प्रत्येक अभ्यर्थी अंतिम रूप से दिये गये कुल अंकों के योग से प्रकट हो, उनकी प्रवीणता क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा। यदि योग में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान देगा।

भाग-चांर
नियुक्ति और पदावधि

नियुक्ति

16- नियम 8 के उपबन्धों के अधीनं रहते हुए, राज्यपाल नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची के प्रांप्त होने पर उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा, उच्च न्यायालय की दृष्टि पर विचार करने के पश्चात् ऐसी सूची में जो योग्यता क्रम में सबसे ऊपर हों, उनमें से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगा, परन्तु यह कि उसका समाधान हो गया हो कि वे अन्य प्रकार से सम्यक् रूप से अर्ह हैं।

पदावधि

17- सीधी भर्ती के मामले में अधिवर्षिता की अधिकतम आयु 62 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति पर न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जब तक उच्च न्यायालय की सहमति से सरकार द्वारा अवधि बढ़ायी न जाए, किन्तु 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक के पश्चात नहीं, पद धारण करेगा।

18- किसी वर्ष में सीधी भर्ती किये गये किसी न्यायाधीश की जेष्ठता नियम 15 के उपनियम 4 के अधीन दी गयी योग्यता सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-पांच
देतन

वेतन और अन्य भत्तें	19- किसी न्यायाधीश को अनुमन्य वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित किये जायें।	

भाग-छः
प्रकीर्ण

पक्ष समर्थन	20- किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौलिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन गप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।	
अन्य विषयों का विनियमन	21- ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, पद पर नियुक्त राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।	

अध्याय-तीन

कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्ते

[धारा 6 (2) और 23 (2) (ख)]

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	22-(1) न्यायाधीश और जहां किसी क्षेत्र के लिये एक से अधिक न्यायाधीश हों वहां प्रधान न्यायाधीश अपने न्यायालय के लिए और अन्य कुटुम्ब न्यायालय के लिए यदि कोई हो, अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के लिए ऐसे अधिकारियों और ऐसी श्रेणी के कर्मचारियों का जैसा कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन समय-समय पर अवधारित किया जाय, नियुक्त करेगा।	
	(2) जब तक कि कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते विहित न की जाये, उनकी अर्हतायें भर्ती की प्रक्रिया, वेतन और सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी जैसी कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश में सिविल न्यायालयों में उसी श्रेणी के कर्मचारियों की हैं और उससे सम्बन्धित नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।	

अध्याय-चार

कुटुम्ब न्यायालयों को अभिलेखों का पारिषण

[धारा 8 और 23 (11)]

अभिलेखों का पारिषण

23-(1) जैसी ही किसी क्षेत्र के लिए किसी कुदुम्ब न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो उरा क्षेत्र में जोड़ने वाला जिला और सेंशन न्यायाधीश धारा 8 में निर्दिष्ट प्रकृतिक के समस्त वादों और कार्यवाहियों के अभिलेखों की, जो उसकी अधिकारिता के अधीन न्यायालय के समक्ष लंबित हो, एकत्रित करवायेगा और कुटुम्ब न्यायालय को पारिषित करायेगा।

(2) मामले के अभिलेखों को उचित रूप से पंक्तिबद्ध किया जायेगा और समस्त प्रत्रादि को सम्यक् रूप से सूचीवद्ध किया जायेगा।

(3) प्रत्येक ऐसे अभिलेखों की विशिष्टियां प्रपत्र ''क'' में एक विवरण में प्रविष्ट की जायेंगी जिसे दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। विवरण की प्रथम प्रति अभिलेखों के साथ कुटुम्ब न्यायालय को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति जिला और सेशन न्यायाधीश अपने पास रख लेगा।

अध्याय-पांच

समाज कल्याण अभिकरणों और कल्याण विशेषज्ञ, नामिका अधिवक्ता आदि का संगम

धारा 13

24- यदि कुटुम्ब न्यायालय न्याय के हित में यह आवश्यक समक्षता है, यह पूर्णतया विधिक विवाधक पर नामिका अधिवक्ता के रूप में विधिक विशेषज्ञ की सहायता मांग सकता है। उस प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब न्यायालय विधिक विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करेगा जो इसकी सहायता करने के लिए नामिका अधिवक्ता और विधिक विशेषज्ञ के रूप में इच्छुक हों उनको जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रचलित फीस और व्यय को माप मान के रूप में सरकार के राजस्व से फीस और व्यय का भुगतान किया जायेगा।

परामर्श केन्द्र धारा 6 और 23

25-(1) प्रत्येक कुटुम्ब न्यायालय से एक परामर्श केन्द्र संलग्न होगा जिसमें इतने परामर्शदाता होंगे जैसा कि समय-समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित किया जाय। यदि किसी कुटुम्ब न्यायालय के लिये एक से अधिक परामर्शदाता नियुक्त किये जाते हैं, तो उनमें एक को मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया जा सकता है।

(2) किसी परामर्श केन्द्र को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है और उन्हें कुटुम्ब न्यायालय के परिसर में और या ऐसे अन्य स्थानों पर जैसा उच्च न्यायालय निदेश दे, अवस्थित किया जा सकता है।

परामर्शदाता धारा 6 (1) और 23 (1)

26-(1) किसी परामर्श केन्द्र से सम्बद्ध मुख्य और अन्य परामर्शदाता उच्च न्यायालय के सिफारिश पर सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उन्हें ऐसे पारिश्रमिक और व्ययों का भुगतान सरकार से राजस्व से किया जायेगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

	(2) उच्च न्यायालय, किसी व्यक्ति को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफारिश करने के पूर्व परिवार और बाल कल्याण में वृत्तिक रूप से अर्ह विशेषज्ञों अधिमानतः जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक कार्य की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत हों, से परामर्श कर सकता है। (3) ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कुटुम्ब परामर्श में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखते हों, परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति में अधिमान दिया जायगा। 27-(1) कोई परामर्शदाता, जिसे कोई याचिका सौंपी गयी हो, पक्षकारों के बीच विवाद की विषय वस्तु या उसके किसी भाग के निपटारे के सम्बन्ध में पक्षकारों को सहायता और सलाह देगा। परामर्शदाता पक्षकारों की सुलह पर पहुंचने के लिए सहायता भी करेगा। (2) पक्षकारों के सलाह देने के लिए नियुक्त परामर्शदाता मिलने का समय और दिनांक नियत करेगा और पक्षकार परामर्शदाता के सपक्ष इस प्रकार नियत दिनांक को और समय पर उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। (3) यदि कोई पक्षकार इस प्रकार नियत दिनांक और समय पर परामर्शदाता के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है तो परामर्शदाता दूसरा दिनांक और समय नियत कर सकता है और अनुपस्थित पक्ष को तदनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित कर सकता है और यदि उक्त पक्षकार स्थगित दिनांक को परामर्शदाता के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय को यह कथन करते हुए रिपोर्ट कर सकता है कि एक या दोनों पक्षकार परामर्शदाता के समक्ष उपिस्थत होने में असफल रहे हैं। जिस पर कुटुम्ब न्यायालय अपनी किन्ही अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल डाले बिना पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मामले को अग्रसर कर सकता है। (4) कोई परामर्शदाता अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी भी पक्षकार के घर जाने का और पक्षकारों के रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों या उनमें से किसी का साक्षात्कार लेने का हकदार होगा: प्रतिबन्ध यह है कि यहां महिला उस परिसर की जो उसकी दखल में है, एक मात्र अधिभोगी है, तो पुरुष परामर्शदाता द्वारा सदैव कुटुम्ब न्यायालय द्वारा समयक रूप से अनुमोदित किसी महिला के साथ जायेगा। (5) परामर्शदाता अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी पक्षकार के नियोजक से ऐसी सूचनायें, जैसी वह आवश्यक समझे मान सकता है। (6) परामर्शदाता किसी पक्षकार को किसी अन्य क्षेत्र जैसे आयुर्विज्ञान या मनोविकृति विज्ञान के विशेषज्ञ को निर्दिष्ट कर सकता है।.	 परामर्शदाता के कृत्य धारा 6 (1) और 23 (2) (ड.)

	28-न्यायाधीश, यथास्थितृि, मुख्य परामर्शदाता या परामर्शदाता से परामर्श करके चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा और विशेषज्ञ सरकार के राजस्व से ऐसी फीस और व्ययों का हकदार होगा जैसा कि न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य या राय देने पाले विशेषज्ञ की प्रास्थिति, सुविज्ञता और वृत्तिक हानि आदि को ध्यान रखते हुए अवधारित की जाय। 29- (1) न्यायाधीश, यथास्थितृि, मुख्य परामर्शदाता या परामर्शदाता से परामर्श करके परिवार कल्याण के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं संगठनों या अभिकरणों की एक ऐसी सूची भी तैयार करेगा जैसा कि वह अपने और पक्षकारों द्वारा ऐसी किसी संस्था, संगठन या अभिकरण की सहायता प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए उचित समझे। (2) संस्थायें, संगठन और अभिकरण उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए ऐसे पारिश्रमिक के हकदार होंगे जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय। 30-(1) परामर्शदाता द्वारा एकत्र की गई सूचना, परामर्शदाता के समक्ष दिया गया कोई कथन या परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई कोई टिप्पणी या रिपोर्ट गोपनीय समझी जायगी और परामर्शदाता को सिवाय दोनों पक्षकारों की सम्मति के किसी न्यायालय में सूचना, कथन, टिप्पणी या रिपोर्ट प्रकट करने के लिए नहीं कहा जायगा। (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उचना, कथन, टिप्पणी और रिपोर्ट को परामर्शदाता द्वारा बन्द आवरण में रखा जायेगा और वे कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का भाग नहीं बनेगी फिर भी उसका उपयोग, न्यायाधीश की अनुमति से, उन शर्त पर कि पक्षकारों की पहचान प्रकट नहीं की जायेगी, अनुसंधान या शिक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। फिर भी न्यायालय सूचना, कथन, टिप्पणी, रिपोर्टों आदि का अध्ययन कर सकता है। 31-किसी परामर्शदाता से किसी न्यायालय में नियम 30 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना, कथन, टिप्पणी या रिपोर्टों के विषय में साक्ष्य देने की अपेक्षा नहीं की जायगी: प्रतिबन्ध यह है कि, (एक) परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय को पक्षकारों के पर्यावरण, उनके व्यक्तित्वों और उनका उनके बच्चों के साथ संबंधों के सम्बन्ध में अभिरक्षा के प्रश्न या किसी बच्चे के विवाह की संरक्षकता का विनिश्चय करने में इसकी सहायता के क्रम में सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। (दो) परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय को पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को रख-रखाव की धनराशि था निर्वाह व्यय स्वीकृत किये जाने का विनिश्चय करने में उसकी सहायता करने के लिए किसी पक्षकार या पक्षकारों के पर्यावरण, आय या जीवन स्तर के संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।	विशेषज्ञों का पैनल धारा-12 और 23 (2) (ग) 28 संस्थाओं की सूचनी धारा-5 और 23 (1) सूचना की गोपनीयता धारा-23 (1) परामर्शदाता द्वारा साक्ष्य का नहीं दिया जाना धारा-23 (1)

	(2) कोई कुटुम्ब न्यायालय किती ऐसे विषय पर, जिस पर वह न्याय निर्णायन कर रहा हो, या उसकै किसी भाग पर सहायता करने के लिए परामर्शदाता से किसी अन्य विषय पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। (3) उपनियम (1) और (2) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति किसी पक्ष को उसके द्वारा अनुरोध किये जाने पर आपूर्ति की जा सकती है। (4) पक्षकार रिपोर्ट पर निवेदन करने के हकदार होंगे।	
	32- परामर्शदाता उसके समक्ष कार्यवाहियों के परिणाम को सूचित करते हुए कुटुम्ब न्यायालय को एक संक्षिप्त ज्ञापन प्रस्तुत करेगा।	ज्ञापन का प्रस्तुत करना (धारा-23)
	33-यदि पक्षकारों में विवाद या उसके किसी भाग से संबंधित कोई समझौता परामर्शदाता के समक्ष हो जाता है के ऐसा समझौता लेखबद्ध किया जायेगा और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा और परामर्शदाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा, और कुटुम्ब न्यायालय उसके निबन्धनों के अधीन किसी डिक्री या आदेश को, यदि वह समझौते के निबन्धनों को अन्तःकरण के विरुद्ध या विधि विरुद्ध या लोक नीति के प्रतिकूल नहीं समझता है, सुनायेगा।	परामर्शदाता के समक्ष निपटारा (23)
	34-(1) परामर्शदाता किसी पक्षकार की अभिरक्षा में बच्चों के रखे जाने या पर्यवेक्षण करने का हकदार होना और इस प्रयोजन के लिए वह उस गृह का जहां बच्चा निवास करता है, आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है, और यदि बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित प्रबन्ध में कोई परिवर्तन अपेक्षित है, तो वह कुटुम्ब न्यायालय को रिपोर्ट करेगा: प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी परिसर की जिसकी महिला अध्यासी हो, और एक मात्र दखलकार है, तो किसी पुरुष परामर्शदाता द्वारा सदैव कुटुम्ब न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित महिला के साथ ही निरीक्षण किया जायगा। (2) उपनियम (1) के अधीन किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कुटुम्ब न्यायालय पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् अच्छे की अभिरक्षा के सम्बन्ध में ऐसा आदेश जैसा यह उचित रामझे, पारित कर सकता है।	बच्चों का पर्यवेक्षण या अभिरक्षा धारा-33 (1)
	35-चाहे मामला कुटम्ब न्यायालय में लम्बित ही क्यों न हो, परामर्शदाता पुनः मेल मिलाप हुए युगलों का पर्यवेक्षण, मार्ग दर्शन और सहायता करने का हकदार होगा।	सुलह के पश्चात पर्यवेक्षण (धारा-23 (1)
	36-जब तक कोई प्रतिकूल नियम न हो, कुटुम्ब न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा।	उच्च न्यायालय का अधीक्षण

आज्ञा से,

इकरामुल बारी,

प्रमुख सचिव।